

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 2467/2026

Sunant Sharma S/o Late Shri Sudarshan Sharma, Aged About 48 Years, R/o 9 Ujla Nagar Basti, Sheikh Jalndhar, Punjab., P.s. Division No. 5, Jalandhar, Distt. Jalandhar (Punjab). (Presently Lodged In Central Jail, Jhalawar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 2468/2026

Sandeep Sharma S/o Radheshyam Sharma, R/o Ward No. 06, Gulath District Kapoorthala (Punjab) (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Jhalawar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 2469/2026

Banti Meena S/o Ramprasad, Aged About 30 Years, R/o Village Aktasa, Police Station Asnawar, District Jhalawar, (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Jhalawar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3243/2026

1. Rohitash S/o Ramavtar, Aged About 22 Years, R/o Bandarej, Police Station Sadar Dausa, District Dausa (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Jhalawar).
2. Chetram S/o Chhajuram, Aged



About 21 Years, R/o Atta Bajori, Police Station Sadar Dausa, District Dausa (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In District Jail Jhalawar).

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3244/2026
Sunil Kumar Sahu S/o Babu Sahu, Aged About 27 Years, R/o Saredi, Police Station Kamkhera, District Jhalawar (Raj.) (Accused Presently Confined In District Jail At Jhalawar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3245/2026
Dhanraj S/o Chandmal, Aged About 25 Years, R/o Bardawda, Police Station Aklera, District Jhalawar (Raj.). (Accused Presently Confined In District Jail At Jhalawar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3246/2026
Parmanand S/o Purilal, Aged About 32 Years, R/o Fokarda, Police Station Aklera, District Jhalawar (Raj.). (Accused Presently Confined In District Jail At Jhalawar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 3339/2026
Rohit Kumar S/o Charan Singh, Aged About 24 Years, R/o Gada,

Police Station Fillor, District Jalandhar (Punjab) (At Present
Confined In District Jail, Jhalawar (Raj.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Pragya Seth, Adv. Mr. Akshit Gupta, Adv. Mr. Prakash Kumar Jha, Adv. Mr. Parmanand Paliwal, Adv. Ms. Saroj Singh, Adv. Mr. Rajendra Singh Jhala, Adv. Mr. Sanjay Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Shubham Sain, AAAG

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

12/03/2026

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु उपरोक्त आठों द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना-साईबर पुलिस स्टेशन, झालावाड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-10/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 316(5), 318(4), 61(2), 111(2)(b), 111(4) भारतीय न्याय संहिता तथा 66(C), 66(D) आई.टी. एक्ट में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना से संबंधित हैं, अतः निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्तागण-अभियुक्तगण का निवेदन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा करीब साढ़े चार-पांच माह से अभिरक्षा में हैं, पूर्व में प्रथम जमानत आवेदन अनुसंधान की स्टेज पर वापिस लिये गये थे, लेकिन अब अभियुक्तगण-प्रार्थीगण के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र हो चुका है, सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, विचारण

में समय लगेगा, अतः ऐसी परिस्थिति में जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के रूप में कार्यरत हैं जिनके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में गंभीर रूप से फर्जीवाडा करते हुए करीब 20 करोड रुपये से अधिक की राशि अनुचित रूप से प्राप्त की है। उनका यह भी निवेदन है कि अभी भी काफी अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान शेष है जो रुहपोष हैं। अपराध में लिप्त राशि और अधिक बढ़ने की संभावना है, अंत में अपराध की गंभीरता आदि को देखते हुए सभी जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि सरकार की ओर से गरीब, दलित महिलाओं, शोषित वर्ग के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाएं यथा प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना, पालनहार योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन और अन्य योजनाओं आदि के लिए जिम्मेदार राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के गलत रूप से ओ.टी.पी. प्राप्त कर, आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली पोर्टल से अनाधिकृत रूप से डाटा प्राप्त करते हुए कालान्तर में अनाधिकृत वेबसाईट डवलप कर योजना के पात्र व्यक्तियों के डाटा में अपात्र व्यक्तियों के आधार नम्बर व बैंक खाते आदि एडिट करते हुए अथवा अपात्र व्यक्तियों से गिरोह के सदस्य के रूप में आवश्यक सूचना व सामग्री प्राप्त कर अनाधिकृत रूप से उपरोक्त योजनाओं के तहत स्वयं के खाते अथवा अपने परिचित अथवा रिश्तेदारों के खातों में उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं की राशि लम्बे समय तक अन्तरित करवाकर प्राप्त की गयी तथा अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार यह राशि करीब 15-20 करोड रुपये से अधिक है।

अनुसंधान के दौरान संकलित साक्ष्य के अनुसार रामवतार सैनी इस पूरे घपले का मास्टर माइंड होकर मुख्य अभियुक्त है। सुनन्त शर्मा पर वेबसाईट डवलपर संदीप शर्मा से रामवतार सैनी को मिलाकर अनुचित रूप से अपने खाते में राशि प्राप्त कर वेबसाईट डवलप करवाने का कृत्य करने का

आरोप है। अभियुक्त बंटी मीणा, सुनील साहू, धनराज आदि के विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने अपात्र व्यक्तियों से एक एजेंट के रूप में डाटा व अन्य सामग्री प्राप्त कर खाते खुलवाकर सरकारी वेबसाइट से छेड़छाड़ करते हुए राशि अन्तरित करवाई तथा कमीशन के रूप में मुख्य अभियुक्त सहित वर्तमान अभियुक्तगण द्वारा अपने हिस्से की अनुचित लाभांश राशि प्राप्त की। अभियुक्त रोहिताश व चेताराम मुख्य अभियुक्त रामवतार के यहां कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हुए इस अपराध में संलिप्त थे, ऐसा आरोप है। इसी प्रकार सह-अभियुक्त रोहित के विरुद्ध आरोप है कि वह संदीप शर्मा का कर्मचारी था तथा उसने इस अपराध व षडयंत्र में सक्रिय भूमिका निभायी। अन्य शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध भी इसी प्रकार के आरोप रहे हैं, अभियुक्त परमानन्द प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद होने के साथ उसके बैंक खाते में राशि अन्तरित होने का तथ्य अभिलेख पर होना बताया गया है।

यह बात सही है कि अभियुक्तगण में से कुछ अभियुक्तगण के खाते में कम तो कुछ के खाते में अधिक राशि प्राप्त हुई है, परन्तु प्रत्यक्ष व सक्रिय रूप से सभी अभियुक्तगण इस घटना में लिप्त रहे हैं। अनुसंधान के दौरान यह भी प्रकट हुआ है कि इस मामले में सरकारी कर्मचारियों व अपात्र लाभार्थियों की भी भूमिका है और उनमें से कुछ के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है। अभियुक्तगण के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वे किसी आवेशजनित घटना से संबंधित नहीं होकर एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत कल्याणकारी योजनाओं में संधमारी करते हुए करोड़ों रुपये के घपले का आरोप है और इस कारण से अपात्र व्यक्तियों द्वारा अनुचित रूप से लाभ प्राप्त किया गया है तथा जो वास्तविक लाभार्थी थे, वे उससे वंचित रहे हैं। अभी भी बकाया अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है तथा अपराध में लिप्त राशि और अधिक बढ़ने की संभावना हो सकती है। अभियुक्तगण के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वे गंभीर अपराध से संबंधित हैं तथा ऐसे मामलों में अभियुक्तगण को यदि जमानत सुविधा प्रदान की गयी तो बकाया अनुसंधान अथवा विचारण विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, निष्पक्ष विचारण आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J